कार्यालय केन्द्रीय नजारत अनुभाग, जनपद न्यायालय बागपत

दिनांक 12.03.2019

निविदा- सूचना

एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय बागपत में प्रिन्टर्स (HP Laserjet pro M203DN and MFD M227FDW) हेतु 44 कार्टेज/टोनर(सीएउ-230ए) प्रतिष्ठित कम्पनी से नये क्रय किये जाने के सम्बनध में तथा उक्त प्रिन्टिर्स की कार्टेज/टोनर को रिफिलिंग किये जाने के सम्बन्ध में अधिकृत/पंजीकृत डीलरों/फर्मों से निविदाएं आमन्त्रित किये जाते हैं। उक्त अधिकृत/पंजीकृत डीलरों/फर्मों को निविदा के लिये दी गयी शर्तों का पूर्णतया पालन करना होगा। क्रय समिति के सदस्य श्री निशान्त मान अवकाश पर है आज दिनांक १२-०३-२०१९ तक प्रर्याप्त निविदा प्राप्त नही होने के कारण निविदा की तिथि एक सप्ताह हेतु पुनः आमत्रिंत की जाती है-

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में जनपद न्यायालय बागपत के केन्द्रीय नजारत बागपत में दिनाँक 18.03.2019 (कार्यालय समय 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक) अंतिम रूप से स्वीकार किये जायेंगे।
2. निविदा खोलने का दिनाँक 18.03.2019 को सांयकाल 04:30 बजे होगा।
3. निविदा सम्बन्धी प्रतिभूति धनराशि रूपये 5000/- (पाँच हजार रूपये मात्र) का बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा।
4. नई कार्टेज/टोनर की आपूर्ति के सम्बन्ध में तथा रिफिलिंग किये जाने के सम्बन्ध मे आपूर्तिकर्ता फर्म को अलग-अलग निविदा की प्रतिभूति धनराशि पृथक-पृथक रूप से बैंक ड्राफ्ट निविदा के साथ जमा करना होगा।
5. निविदा की आपूर्ति करने वाले सामान की निर्मता कम्पनी मॉडल नं0 आदि विवरण अंकित करना अनिवार्य है।
6. निविदा करने वाली फर्म का वस्तु एवं सेवाकर कार्यालय में पंजीकृत होना अनिवार्य है।
7. माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार यदि किसी फर्म द्वारा उक्त कार्टेज की रिफिलिंग की जाती है तो सम्बन्धित फर्म द्वारा इस आशय की अन्डरटेकिंग देनी अनिवार्य है कि रिफिलिंग में प्रयोग की गयी इंक प्रिन्टिंग के बाद कागज पर हल्की (fade) नहीं होगी।
8. उपरोक्त कार्टेज के क्रय/रिफिलिंग का भुगतान माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से प्राप्त अनुदान के अनुसार किया जायेगा।
9. किसी भी निविदा को स्वीकार अथवा अस्वीकार करने का अंतिम अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत को होगा।
10. किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत द्वारा निरस्त किया जा सकता है।
11. निविदा खोलने के समय फर्म का एक प्रतिनिधि उपस्थित हो सकता है, फर्म का यदि कोई प्रतिनिधि उपस्थित नही होता है तो भी निविदा की कार्यवाही अमल मे लायी जायेगी।
12. निविदा में दिये गये मूल्य के अतिरिक्त कोई भी भुगतान जैसे भाड़ा वस्तु को स्थापित करने हेतु अन्य कोई व्यय देय नहीं होगा।
13. भुगतान वस्तु की आपूर्ति के उपरान्त ही किया जायेगा। विलम्ब होने पर कोई भी अतिरिक्त शुल्क अथवा ब्याज आदि का दावा स्वीकार नहीं होगा।
14. उपरोक्त कार्टेज/टोनर को क्रय/रिफिलिंग करने की संख्या प्राप्त अनुदान पर निर्भर करती है जो घट-बढ़ सकती है।
15. उपरोक्त कार्टेज की आपूर्ति माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद से अनुदान प्राप्त हो जाने उपरान्त ही ली जायेगी।

16. निविदा में किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में न्यायालय का क्षेत्राधिकार जनपद न्यायालय बागपत मे होगा। किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत को होगा।
17. निविदा आवेदन पत्र/फॉर्म रूपये 150/- (एक सौ पचास मात्र) में केन्द्रीय नजारत जनपद न्यायालय बागपत से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय समय में प्राप्त किया जा सकता है।
18. निविदा आवेदन पत्र/फॉर्म प्रतिभूति धनराशि रूपये 5000/- (पांच हजार मात्र) का बैंक ड्रॉफ्ट माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के नाम से देय होगा, जिसे निविदा अस्वीकार किये जाने की स्थिति में फर्म को तुरन्त वापस किया जायेगा तथा स्वीकार निविदा का बैंक ड्राफ्ट निविदा की शर्तों के अनुरूप कार्टेज की आपूर्ति होने के उपरान्त फर्म को वापस किया जायेगा।
19. निविदा खोलने के पश्चात किसी भी आपत्ति पर विचार नहीं किया जायेगा।
20. उपरोक्त कार्टेज की आपूर्ति किसी भी अवस्था में 04 दिवस से अधिक की नहीं होनी चाहिये।
21. आपूर्ति किये जाने वाले कार्टेजों की धनराशि में जी0एस0टी0 एवं उसका प्रतिशत पृथक रूप से अंकित करना होगा।

आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश बागपत के अनुमोदनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

आबिद शमीम,
प्रभारी अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला जज त्वरित
न्यायालय सं0-02 बागपत।

डा0 श्रीमती मनु कालिया,
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला जज न्यायालय
सं0-01 बागपत।

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिला सूचना अधिकारी बागपत को जी0ओ0 नं0-562/उन्नीस-2-2007-1007(टी0सी0) दिनांकित 04.07.2007 के अनुरूप समस्त स्थानीय समाचार पत्रों में नीलामी की विज्ञप्ति निःशुल्क प्रकाशित कराये जाने एवं सूचनापट पर चस्पा किये जाने हेतु प्रेषित।

२.कार्यालय जनपद न्यायाधीश बागपत
३.कार्यालय जिलाधिकारी बागपत
४.कार्यालय तहसील सदर बागपत
५.कार्यालय नगर पालिका परिषद बागपत
६. कार्यालय तहसील बड़ौत
७.कार्यालय तहसील खेकड़ा
८.जिला अस्पताल बागपत एवं अन्य सूचना पटो पर
९.नोडल अधिकारी, कम्प्यूटर अनुभाग को माननीय उच्च न्यायालय एवं जिला बागपत की वैधानिक वेबसाईड/नेट पर अपलोड करने हेतु

आख्या माननीय जनपद न्यायाधीश के अनुमोदनार्थ सादर प्रेषित।

डा0 श्रीमती मनु कालिया,
अध्यक्ष क्रय समिति/
अपर जिला जज न्यायालय बागपत।

Approved
12.3.18
District Judge
Baghpat